

F.No: STC/CO/PER/IR/02126/2011

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI**  
(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

August, 1<sup>st</sup> 2018

**CIRCULAR NO: IR/15/2018**

**Ref: Circular No. IR/24/2010 dated 16.12.2010**

**Sub: STC Residential Apartment Rules – Amendment thereof**

The STC Residential Apartments Rules, Para 14 regarding period for which allotment subsist concessional period for further retention has been amended. Accordingly, an apartment allotted to the employee will be allowed to be retained for the maximum period as specified below against the happening of each event with immediate effect:

Event	Normal period of Retention	Licence fee payable
Resignation, Dismissal or Removal or Termination of Service or <b>Compulsory Retirement under STC's (Conduct, Discipline &amp; Appeal) Rules, 1975 or unauthorized absence without permission.</b>	1 month	On Normal licence fee.
Retirement(including Voluntary Retirement) or Terminal leave or <b>Compulsory Retirement under FR-56(j)</b>	4 months	On Normal licence fee.
To eligible spouse or ward in case of death of the allottee or in case of missing persons (from the date on which the Police authority has certified that the employee is missing)	Twelve months Further, period of Twelve months.	On Normal licence fee. On Normal licence fee provided the deceased or missing allottee or any member of the family does not own a house at the place of occupation of accommodation.
Transfer to an outstation*	Two months	On Normal licence fee.
Documentary support is required for further relaxation on Education or Medical ground for Retaining the accommodation for further six months.	Further, six months	On Double licence fee.
All authorised and sanctioned leave	Full period of leave	On Normal licence fee.

- \* No HRA at the new station of posting shall be admissible for the period for which the apartment is retained at the old station under this clause.

**Note: After the normal period of retention is over, the occupant will be treated an unauthorized occupant liable to eviction proceedings and penal rent/market rent shall be recovered as per rate notified from time to time.**

2. In Cases where employees who has resigned and relieved from services of Corporation and already availed some period of time for vacating accommodation prior to issue of this Circular, will be served notice to vacate the accommodation within one month from the date of issuance of this Circular.
3. The Other terms and conditions on the subject shall remain unchanged.
4. This issues with the approval of the Competent Authority.



(T. Kerketta)

General Manager (Pers.)

**By E-mail:**

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

**Copy to**

- JGM(F)(A&E), CO
- Notice Board
- Website

**द्वि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली**

(औद्योगिक संबंध समूह)

01 अगस्त, 2018

परिपत्र सं.: आईआर/15/2018

संदर्भ : परिपत्र सं. आईआर / 24/2010 दिनांक 16.12.2010

विषय : एसटीसी आवासीय अपार्टमेंट नियम - में संशोधन

आवास आबंटन को आगे प्रतिधारण (रिटेंशन) के लिए रियायती अवधि से संबंधित, एसटीसी आवासीय अपार्टमेंट नियम, पैरा 14, में संशोधन किया गया है। तदनुसार, कर्मचारी को आबंटित अपार्टमेंट को उसके द्वारा, तत्काल प्रभाव से, नीचे निर्दिष्ट प्रत्येक घटना के संबंध में उसके सामने दर्शायी गयी अधिकतम अवधि के लिए प्रतिधारण किया जाएगा :

घटना	प्रतिधारण की सामान्य अवधि	देय लाइसेंस शुल्क
सेवा से त्यागपत्र, बर्खास्तगी या निष्कासन या सेवा-समापन, एसटीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा बिना अनुमति के अनधिकृत अनुपस्थिति।	1 महीना	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर।
सेवानिवृत्ति (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सहित) या सेवा-समापन छुट्टी या एफआर-56 (जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति	चार महीने	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर।
आबंटिती व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उनके लापता हो जाने (जिस तारीख से पुलिस प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया है कि कर्मचारी लापता है), के मामले में पात्र पति/पत्नी या वार्ड के लिए	बारह महीने इसके अलावा, बारह महीने की अवधि।	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर। सामान्य लाइसेंस शुल्क पर बशर्ते मृतक या लापता आबंटिती या परिवार के किसी भी सदस्य के पास आवास लेने के स्थान पर अपना घर नहीं है।
किसी बाह्य स्टेशन में स्थानांतरण * अगले छह महीनों के लिए आवास बनाए रखने के लिए शिक्षा या चिकित्सा आधार पर आगे छूट के लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता है।	दो महीने इसके अलावा, छह महीने	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर। डबल लाइसेंस शुल्क पर।
सभी अधिकृत और स्वीकृत छुट्टी	छुट्टी की पूरी अवधि	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर।



\* इस प्रावधान के तहत पुराने स्टेशन पर अपार्टमेंट की प्रतिधारण अवधि के लिए तैनाती के नए स्टेशन पर कोई एचआरए देय नहीं होगा।

नोट: प्रतिधारण की सामान्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद, अधिवासकर्ता को अनधिकृत अधिवासकर्ता माना जाएगा और वह खाली करवाने की कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा तथा उससे समय-समय पर अधिसूचित दर के अनुसार दंड किराया / बाजार किराया वसूल किया जाएगा।

2. उन मामलों में जहां कर्मचारियों ने निगम की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया और और इस परिपत्र के जारी करने से पूर्व आवास खाली करने के लिए पहले ही कुछ समय का लाभ उठा लिया है, उन्हें इस परिपत्र के जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया जाएगा।
3. इस विषय में अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
(टी. केरकेटा)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

**ईमेल द्वारा:**

- सीएमडी के कार्यकारी सचिव
- निदेशकों / सीवीओ के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- सभी शाखा प्रबंधक

**प्रतिलिपि:**

- संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त) (लेखा व स्थापना), मुख्यालय
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट